न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—139/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/139)

1. महावीर पुत्र नारायण
2. बल्लु पत्नि प्रहलाद
3. राजू पुत्र प्रहलाद
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद
5. मोनू पुत्र प्रहलाद
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद
7. शंकर पुत्र नारायण

समस्त जाति दरोगा, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भूरी तथाकथित पुत्री नारायण पत्नि छोटू जाति दरोगा निवासी श्रीराम कॉलोनी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकडी जरिए पार्टनर्सः—
   2/1 रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
   2/2 बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू जाति तेली
   2/3 बिरदीचंद डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
   2/4 नितेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट

   समस्त निवासीगण केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 1858/2017 (2017/01487)

उपस्थितः—

1. श्री सुमित जैन, राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 1
3. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 2/1 से 2/4
4. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—08.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1858/2017 (2017/01487) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4813, 4814, 4817 से 4822, 4828, 4829, 4946 से 4950 वाकै स्थित करबा केकडी बाबत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष पेश किया। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2023 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया का वाद स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1858/2017 (2017/01487) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 भूरी द्वारा नगर पालिका केकडी से पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 18.10.2018 को नारायण सिंह की पुत्री होने बाबत जारी करना बताया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद खातेदारी घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया है, उक्त बाबत नगर पालिका मण्डल केकडी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 19.05.2023 व 09.06.2023 से किसी प्रकार का सजरा प्रमाण पत्र जारी नहीं होने बाबत अंकन किया है, उक्त संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अपीलांट्स द्वारा दर्ज कराई गई है, स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 06.05.2024 को निरस्त की जा चुकी है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात है। उपरोक्त दस्तावेजात जो कि राजस्व अभिलेख एवं न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात के बाबत प्रकरण के निर्णय हेतु सहायक दस्तावेज है जिन्हें रेकार्ड पर लिए जाकर प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः निम्नांकित दस्तावेजात अभिलेख पर लिए जावे–

1. नगर पालिका केकडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.05.2023 व 09.06.2023
2. पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र
3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेजात वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित राजस्व अभिलेख की प्रति तथा सरकारी दस्तावेज है जो कि संदेह से परे है एवं प्रकरण के निर्णय हेतु सहायक है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किया गया है अस्वीकार है, नगर पालिका मण्डल केकडी द्वारा विधिपूर्ण तरीके से सजरा प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई, तथा उक्त दस्तावेज साक्ष्य के दौरान प्रदर्श अंकित किया गया, तथा विचारण न्यायालय में स्वयं अपीलार्थी के उपस्थिति में प्रदर्श अंकित किया गया इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जिस निर्णय का अंकन किया है वह धारा 145 सीआर0पीसी के प्रकरण से संबंधित है जो वर्तमान अपील के निर्णय हेतु किसी भी प्रकार से सहायक दस्तावेज नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या 3 मे वर्णित कथन के बारे में निवेदन है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिए जाने योग्य नही है। अपितु जो प्रथम सूचना अपीलार्थी द्वारा दर्ज किया जाना बताया उक्त प्रथम सूचना बाबत पुलिस अनुसंधान किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है प्रथम सूचना के आधार पर किसी प्रकार का चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किया गया है पूर्णतया अस्वीकार है। वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज किसी प्रकार से सारवान दस्तावेज नहीं है तथा माननीय न्यायालय में लंबित अपील के निस्तारण हेतु उक्त दस्तावेज किसी प्रकार से सहायक नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है एवं उक्त दस्तावेजात सरकारी दस्तावेजात होकर लोक दस्तावेजात की श्रेणी मे आते है तथा न्यायिक निर्णयन में सहायक सिद्ध होंगें। अतः अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का रिकार्ड पर लिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट्स अपने पूर्वजों के समय से ही वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है एवं न ही वादीया को वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अपीलांट्स ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया जाल का खेडा की निवासी है एवं नारायण की संतान नहीं है जिस कारण वादीया का वादग्रस्त आराजी में कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया यह कतई सिद्ध नहीं कर पाई कि वह नारायण की जाईन्दा पुत्री हो, इसके बावजूद बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वादीया को नारायण की पुत्री मानकर वादीया का वाद स्वीकार करने में उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त सजरे के आधार पर वादीया को नारायण की पुत्री मानकर वादीया का वाद स्वीकार करने में भूल की है। नगर पालिका अध्यक्ष को उत्तराधिकार सजरा प्रदान करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नगर पालिका द्वारा प्रदत्त सजरे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। जिस कारण भी उक्त सजरे के आधार पर वादीया को नारायण की पुत्री नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के वादीया को नारायण की पुत्री मानकर वादीया का वाद स्वीकार करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया ने यह कतई साबित नहीं किया कि वह नारायण की पुत्री है, केवल मात्र अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा प्रदत्त सजरे के आधार पर वाद स्वीकार किया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त बिंदु पर गौर नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादीया का वाद स्वीकार कर भूल की है। अपीलांट्स ने यह पूर्ण सिद्ध कर दिया था कि वादीया नारायण की पुत्री नहीं

Scanned with CamScanner

है एवं वादीया नारायण की पुत्री होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे वादीया का वाद निरस्त योग्य था। रेस्पोडेंट संख्या 1 भूरी द्वारा नगर पालिका केकडी से पारिवारिक राजरा प्रमाण पत्र दिनांक 18.10.2018 को नारायण सिंह की पुत्री होने बाबत जारी करना बताया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद खातेदारी घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया है, उक्त बाबत नगर पालिका मण्डल केकडी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 19.05.2023 व 09.06.2023 से किसी प्रकार का राजरा प्रमाण पत्र जारी नहीं होने बाबत अंकन किया है, उक्त संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अपीलांट्स द्वारा दर्ज कराई गई है, स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 06.05.2024 को निरस्त की जा चुकी है। यह की भूरी नारायण की पुत्री नहीं होकर नारायण की पत्नि के साथ आने के कारण भूरी नारायण की पत्नि के साथ नाते में आने के कारण गेलड पुत्री है। नारायण की पत्नि छोटी देवी का पूर्व में पवांलिया टोंक निवासी मांगीलाल के साथ हुआ था तथा जिससे एक पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया उत्पन्न हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के जाईदा पिता मांगीलाल के फौत होने पर दूसरा नाता विवाह नारायण पुत्र बालू निवासी केकडी के साथ किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया अपनी माता छोटी देवी के साथ नाबालिक अवस्था में गेलड के रूप में आयी थी, जिससे स्पष्ट है कि भूरी नारायण की जाईदा पुत्री नहीं होकर गेलड पुत्री है। यदि भूरी नारायण की जाइंदा पुत्री है तो पहले दस्तावेजात के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर किसी प्रकार के अनुतोष हेतु चाराचोही करें। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा भी अपील संख्या 218/2021 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2022 में प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये थे कि वादीया मूल खातेदार नारायण पुत्र बालू की पुत्री होने बाबत प्रस्तुत साक्ष्यों की वैधता एवं प्रमाणिकता की विस्तृत जांच कर विवादित आराजी पर कब्जे बाबत निष्कर्ष अंकित करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विस्तृत जांच नहीं की गई ना ही वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भूरी पत्नि छोटू द्वारा सिविल न्यायालय से अपने आप को नारायण पुत्र बालू की जाईदा पुत्री होने बाबत कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूरी पत्नी छोटू को सरसरी तौर पर नारायण पुत्र बालू की पुत्री मानकर जो आदेश पारित किया है वह अविधिक आदेश है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1858/2017 (2017/01487) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीया की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर वादपत्र के विंदु संख्या 8 के आगे 8 ए जोडा जाने का निवेदन किया जाकर संशोधित वादपत्र पेश किया। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है जो वादिया के दादा श्री बालू पुत्र रोडा जाति दरोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड 1349 फसली में बतोर खातेदार के दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त बालू पुत्र रोड़ा के एक मात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतोर खातेदारी में आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी। नारायण पुत्र बालू

Scanned with CamScanner

जाति दरोगा वादिया के पिता है तथा वादिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रहलाद व प्रतिवादी संख्या 7 उनके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिसान है। वादिया के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादिया अपने हिस्से के 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है प्रतिवादीगण का वादिया के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण ने वादिया के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तकरण राजस्व से मिलीभगत कर एकमात्र नामान्तकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया जबकि स्वर्गीय नारायण की जायन्दा पुत्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया ओर ना ही राजस्व अधिकारियों ने वास्तविक तथ्यों की जानकारी किये बिना नामान्तकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो दुरुस्त किया जाकर वादिया को उसकी पुश्तैनी आराजीयात का खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण नाजायज व अनाधिकृत रूप से वादिया के हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचात हस्तांतरण, अन्तरण करने पर आमदा है। दिनांक 06.10.2017 को प्रतिवादीगण एकराय होकर आये एवं जबरन बेदखल करने की नियत से लड़ाई झगडा करने लगे और आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान करने की एलानियां धमकी देने लगे इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादवर्णित आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्ट बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.02 हैक्ट गै.मु.पाल को प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर खरीद किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) को वादग्रस्त आराजीयात को न्यायालय से स्थगन के उपरान्त भी बैचान किया जो कि आरम्भ से ही गलत अवैध कानूनन शून्य है जिससे कथित विक्रयपत्र को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। अतः वादवर्णित आराजीयात का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अंकन किया जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 (1 लगायत 4) को आराजीयात को रहन बैचान बक्षीस इत्यादि नहीं करने व वादिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बावत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस में आगे निवेदन किया कि कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट/वादीया की पुश्तैनी भूमि है। वादीया नारायण पुत्र बालू की पुत्री है। नारायण पुत्र बालू की मृत्यु होने पर वादीया/रेस्पोडेन्ट का नाम विरासत में दर्ज नहीं हुआ। वादग्रस्त आराजीयात में नाम दर्ज कराने बावत विधिवत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। वादीया वाद पत्र के साथ सजरा प्रमाण पत्र पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकीयात का पत्रावली पर उपल्वध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है। जिसके आधार पर वादीया नारायण पुत्र बालू की पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से वादीया का वाद स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 ने दौराने बहस निवेदन किया कि हमारे द्वारा वादग्रस्त आराजीयात रिकार्डेड खातेदार से प्रतिफल देकर खरीद किया गया है एवं खरीद दिनांक से ही हम मौके पर काबिज काश्त है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी हमारे द्वारा खरिद किये गये हिस्से को छोडते हुए आदेश पारित किया गया है हम बोनाफाईड परचेजर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हमारी खरीद शुदा भूमि प्रभावित नहीं है।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में चार तनकीयां निर्मित करते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.04.2023 को किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयों का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है। **तनकी संख्या–1** *आया वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा वादिया का वाद वर्णित आराजीयात में जन्म से अधिकार निहित होने से वादिया को वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे ?*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्धारण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कार्यालय नगर पालिका केकडी जिला अजमेर में अध्यक्ष द्वारा तैयार पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र अनुसार किया गया है। जो कि पत्रावली में प्रदर्श–14 के रूप में दिनांक 06.05.2022 को प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया है, परंतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 व नियम 27 जा0दी0 के तहत पत्रावली पर नगर पालिका केकडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.05.2023 व 09.06.2023 प्रस्तुत किया गया है। जिसका अवलोकन किए जाने पर यह स्पष्ट है कि नगर पालिका से आर0टी0आई के तहत सूचना मांगी गई थी। सूचना के अधिकार के तहत उनके द्वारा किसी भी प्रकार का पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तथा जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 के सजरा प्रमाण पत्र बाबत किसी प्रकार का रजिस्टर उपलबध नहीं है एवं सूचना के अधिकार में नगर पालिका केकडी द्वारा यह सूचना दी गई कि नगर पालिका द्वारा कोई सजरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत एफ आर में धारा 91 सी0आर0पी0सी0 के तहत अनिल कुमार मित्तल ने अपने बयानो में सजरा जारी करना स्वीकार किया है तथा यह भी अंकित किया है तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा सजरा प्रमाण पत्र जारी किया जाता था एवं इसका संधारण अलग रजिस्टर में किया जाता है। जबकि नगरपालिका द्वारा सूचना के अधिकार में दी गई सूचना में किसी प्रकार का सजरा प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया जाता है कि सूचना दी गई थी । इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि एफ आर के विरूद्ध अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रोटेस्ट पीटीशन पेश कर रखी है जो कि विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि उक्त सजरा प्रमाण पत्र नगरपालिका केकडी द्वारा जारी नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त सजरा प्रमाण पत्र बाबत नगरपालिका केकडी द्वारा अपने जवाब में कथनों से इंकार किया गया है तथा एफ0आर0 के विरूद्ध प्रोटेस्ट पीटीशन सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। भूरी नारायण पुत्र लालू की जाईन्दा पुत्री है या नहीं ? इस बात की पुष्टि स्पष्ट रूप से

Scanned with CamScanner

नहीं होती है ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूरी के पुत्री होने बाबत ठोस दस्तावेज लिये बिना तनकी संख्या 01 का निर्णय अविधिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादीया के पक्ष में किया गया है। भूरी का नारायण पुत्र बालू की जाईदा पुत्री है या गेलड पुत्री है विरोधाभासी प्रतीत होता है अतः विरोधाभासी परिस्थितियों में उत्तराधिकार बाबत सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जाना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय ने जब भूरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 सपठित धारा 151 दिनांक 05.01.2023 को खारिज किया गया था अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेजो के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए था। वादीया/रेस्पोडेंट इस बाबत कोई विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिससे यह स्पष्टतया प्रतीत हो कि वादीया नारायण की पुत्री है। इस बाबत अपीलांट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसके तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को याचिका की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त की गई। अपीलांट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत की गई है जिसके तहत शंकर पुत्र नारायण दरोगा बनाम भूरी पत्नि छोटू पुत्री मांगीलाल दरोगा में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट अनुसार परिवादी के पिता का नाम नारायण पुत्र बालू दरोगा है तथा परिवादी की माता का नाम छोटी देवी है। परिवादी की माता छोटी देवी का विवाह मांगीलाल पुत्र गोपाल दरोगा से हुआ था। उनके विवाह से भूरी का जन्म हुआ भूरी जब डेढ साल की हुई जब मांगीलाल पुत्र गोपाल दरोगा का आकस्मिक निधन हो गया। इसके पश्चात छोटी देवी ने नारायण पुत्र बालू दरोगा से नाता विवाह किया। इनके विवाह पश्चात तीन संताने उत्पन्न हुई महावीर, प्रहलाद, शंकर अथार्त भूरी का रक्त संबंध मांगीलाल पुत्र गोपाल दरोगा से है। इन समस्त दस्तावेजात से भूरी का नारायण पुत्र बालू की जाईदा संतान होना संदेहास्पद है। इन सब तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 01/ वादीया के पक्ष में करने में दस्तावेजों के आधार पर त्रुटि कारित की गई है जो कि खारिज योग्य है।

तनकी संख्या–2 " आया वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा वादिया का वाद वर्णित आराजीयात में जन्म से अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं प्रतिवादी संख्या 9(1 लगायत 4) को वादिया के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने बावत जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे ? "

उक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी है जो कि राजस्व रिकार्ड से स्पष्टतया प्रतीत होता है परंतु उक्त आराजीयात में वादीया का जन्म से अधिकार है कि नहीं ? इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्धारण विस्तृत रूप से किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें भुवाना पुत्र मांगीलाल जाति दरोगा के बयान भी उपलब्ध है जिसमें भूरी को मांगीलाल की पुत्री होने का कथन किया गया है। शंकर पुत्र श्री नारायण दरोगा द्वारा भी सिविल न्यायधीश के समक्ष बयान प्रस्तुत किए गए है। जिसके अनुसार भूरी नारायण पुत्र बालू दरोगा की जायंदा संतान नहीं है। इन समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से की भूरी नारायण की जाईदा पुत्री है या गेलड पुत्री है स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता है। इस स्थिति में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त तनकी बहक अपीलांट्स विरूद्ध रेस्पोडेंट्स तय की जाती है।

तनकी संख्या–3 आया वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी नहीं होकर वादिया नारायण की जायंदा संतान नहीं होने से वादिया का वादवर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार दखल नहीं है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलांट पर है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष केकडी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादीया नारायण पुत्र बालू की जाईदा संतान मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ दस्तवेजात पेश किये जिसे रिकार्ड पर लिया जा चुका है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार में नगरपालिका केकडी से प्राप्त सूचना में उनके द्वारा दी गई सूचना में यह स्वीकार किया है कि उक्त सजरा नगरपालिका द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ना ही नगरपालिका सजरा प्रमाण पत्र जारी करती है । उक्त सूचना के अधिकार मे सजरे के बारे में दी गई सूचना एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/भूरी को नारायण की पुत्री मानना संदेहास्पद एवं विरोधाभासी है। चूंकि जहां स्थिति विरोधाभासी हो वहां वादीया/भूरी को किसी प्रकार के हक अधिकार विवादित आराजीयात में प्रदान नहीं किए जा सकते क्यों कि इस बावत अपीलांट द्वारा अपनी अपील में व जरिए गवाहों के शपथ पत्र न्यायालय हाजा को बताया गया है। अतः उक्त तनकी को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय में बखूबी अपने पक्ष में साबित किया गया है। अतः तनकी संख्या 3 भी अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या–4 आया प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) द्वारा वाद वर्णित आराजीयात के खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 है0 में से 1.34 है0 एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.20 है0 में से 0.10 है0 को सदभाविक रूप से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार रेस्पोडेंट संख्या 2 पर है। वाद वर्णित आराजीयात में से खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 है0 में से 1.34 है0 दक्षिणी दिशा की ओर का एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.20 है0 में से 0.10 है0 दक्षिणी दिशा की ओर का हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.09.2020 के खरीदशुदा है। अपीलांट संख्या 1 लगायत 7 ने वर्णित उक्त आराजीयात को विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर आराजीत का भौतिक कब्जा स्वयं का हटाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 को दिया गया। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा वर्णित आराजीयात की प्रतिफल राशि अदा कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। जिससे उन्हें उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः यह तनकी रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त वर्णित समस्त तनकीयों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं रिब्टल में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों का निर्णय विधिक रूप से नहीं किया जाकर मात्र सरसरी तौर पर किया गया है।

इस वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित हुई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1858/2017 (2017/01487) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में इस तथ्य की विस्तृत रूप से जांच करे की भूरी नारायण की जाईन्दा पुत्री है या गेलड पुत्री ? इस बाबत विस्तृत जांच करे। यदि भूरी गेलड पुत्री है तो उसके किस प्रकार से आराजीयात में हक अधिकार निहित हैं। यदि उत्तराधिकार को लेकर पक्षकारों के प्लीडिंग, बयानों एवं दस्तावेजों में विरोधाभास है तो उसका विनिश्चय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए। इन सब बिंदुओं की जांच कर प्रकरण में नए सिरे से दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य लेकर, साक्ष्यों को प्रदर्श के रूप में अंकित कर प्रत्येक तनकी में गुणावगुण पर फाईण्डिंग देते हुए विस्तृत रूप से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/09/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner